46 / 2016 मुलाराम.बनाम. मुराद खा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14-2-18	वकुलाये फरीकैन उपस्थित। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस एवं पत्रावली पर मनन किया। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया अदालत मातहत में पत्रावली दिनांक 19.1.2016 से तलबी में रही जिसमें तलबी होना कहीं भी दर्ज नहीं किया। न पक्षकारों को कैम्प कोर्ट की सूचना दिया जाना पत्रावली से साबित है। कैम्प में प्रार्थी अथवा उनके वकील हाजिर आये हो ऐसा भी दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। कानूनन प्रकरण में होने वाली सभी विधिक प्रकियाओं को पूरा करते हुये विधि अनुसार पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने ऐसा न कर अपना निर्णय पारित किया है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। पक्षकारों को सुनवाई का अवसर न्यायहित में दिया जाना आवशयक है। अत अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी का निर्णय दिनांक 23–5–2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों कों सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपना निणर्य पुन पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 25.3. 2018 को उपस्थित होवें। निर्णय सुनाया गया। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

Web Copy Not Official